

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़गॉव

पीठासीन अधिकारी डॉ. मन्जु आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 565/19 वाद

श्री संदीप कुमार लक्षकार पिता श्री उंकारलाल लक्षकार, निवासी हाल मकान नम्बर 37, शिव मार्ग, तेलीवाड़ा, लखारा चौक, उदयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. श्री कालुसिंह पिता श्री नाथू राजपुत
2. श्री लोगर पिता नाथू राजपुत
3. श्री भगा पिता नाथू राजपुत
4. श्री मोहन पिता श्री नाथू राजपुत निवासीयान गॉव गोदावतो की भागल, पटवार हल्का व ग्राम पंचायत भुताला, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर
5. श्री पदमसिंह पिता श्री वरदा राजपुत
6. श्री वेणसिंह पिता श्री वरदा राजपुत
7. श्री धुलसिंह पिता श्री वरदा राजपुत
8. श्रीमती भुरीबाई पत्नि स्व. श्री देवीसिंह राजपुत
9. श्री नवलसिंह पिता श्री वरदा राजपुत, निवासीयान गॉव गोदावतो की भागल, पटवार हल्का व ग्राम पंचायत भुताला, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर
10. श्री किशनसिंह पिता श्री हीरासिंह डूलावत राजपुत, निवासी माताजी का खेड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:- श्री राजमल राव

निर्णय

दिनांक :

वादी श्री संदीप कुमार लक्षकार पिता श्री उंकारलाल लक्षकार, निवासी हाल मकान नम्बर 37, शिव मार्ग, तेलीवाड़ा, लखारा चौक, उदयपुर (राज.) ने प्रतिवादीगण श्री कालुसिंह पिता श्री नाथू राजपुत, श्री लोगर पिता नाथू राजपुत, श्री भगा पिता नाथू राजपुत, श्री मोहन पिता श्री नाथू राजपुत निवासीयान गॉव गोदावतो की भागल, पटवार हल्का व ग्राम पंचायत भुताला, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.), श्री पदमसिंह पिता श्री वरदा राजपुत, श्री वेणसिंह पिता श्री वरदा राजपुत, श्री धुलसिंह पिता श्री वरदा राजपुत, श्रीमती भुरीबाई पत्नि स्व. श्री देवीसिंह राजपुत, श्री नवलसिंह पिता श्री वरदा राजपुत, निवासीयान गॉव गोदावतो की भागल, पटवार हल्का व ग्राम पंचायत भुताला, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.), श्री किशनसिंह पिता श्री हीरासिंह डूलावत राजपुत, निवासी माताजी का खेड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.), राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.) के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.06.18 से वादी का वाद प्रारम्भिक

डिक्री किया जाकर तहसीलदार बड़गाँव को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया गया कि ग्राम पिलाना की भागल, पटवार मण्डल भुताला, तहसील बड़गाँव के जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 खाता संख्या 34 के आराजी संख्या 496, 501, 503 व 513 किता 4 रकबा 5 बिघा 12 बिस्वा एवं खाता संख्या 123 के आराजी संख्या 497, 500, 515, 516, 525, 891, 892, 893, 927, 939, 940, 943, 949, 951, 952, 966, 968, 972, 983, 984, 985, 987, 991, 997, 999, 1005, 1009, 1048, 1050, 1054, 1059, 1412, 1413, 1414 व 1415 किता 35 रकबा 14 बिघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि में वादी का खाता संख्या 34 में 1/20 वाँ हिस्सा एवं खाता संख्या 123 की आराजी संख्या 1412, 1413, 1414, 1415 कुल किता 4 रकबा 5.02 कृषि भूमि में वादी का 1/5वाँ हिस्सा निहित हैं। जिसे उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बँटवाड़ा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बड़गाँव ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/19/1388 दिनांक 11.09.19 से बँटवाड़ा रिपोर्ट प्रेषित की। बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02.09.19 अनुसार मौके पर सहखातेदार के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड व मौका अनुसार डिक्री पालना में बँटवाड़ा तैयार किया गया। मौके पर सभी सहखातेदार उपस्थित हुए। जिन्होंने बँटवाड़े पर सहमति प्रकट की। सहखातेदार धुलसिंह, वेणीसिंह पिता वरदा चौहान द्वारा मौके पर उपस्थित रहते हुए बँटवाड़ा सुची व नक्शा ट्रेस पर हस्ताक्षर नहीं किये।

प्रकरण में दिनांक 28.11.19 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। नाही कोई बँटवाड़ा रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त हुई। आपत्ति हेतु दिनांक 11.12.19 का अन्तिम अवसर दिया गया उसके उपरान्त आज दिनांक 11.12.19 को भी किसी की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। जिसके द्वारा प्रस्तुत बँटवाड़े पर कोई आपत्ति नहीं की गई। बँटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार वादी के नाम भूमि बँटवाड़ा किये जाने हेतु कथन किया गया। बहस पर मनन किया गया। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.06.18 में वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर जो सहखातेदारी की भूमि थी उसका बँटवाड़ा किये जाने हेतु ही निर्देशित किया गया था। बँटवाड़ा सहखातेदारी की भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार किया गया है। तहसीलदार बड़गाँव द्वारा प्रस्तुत बँटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बँटवाड़ा किया जाना प्रस्तावित हैं।

1. पदमसिंह पिता वरदा चदाणा

आ.न.	रकबा	लगान
1415/3	1.00	0.80
कुल किता 1 रकबा 1.00 लगान 0.80		
2. वेणसिंह पिता वरदा चदाणा

आ.न.	रकबा	लगान
1413	0.04	0.22
1415/4	0.16	0.64
कुल किता 2 रकबा 1.00 लगान 0.86		
3. श्री धुलसिंह पिता वरदा चदाणा सा.देह खातेदार

आ.न.	रकबा	लगान
1414	0.08	0.44
1415मी.	0.12	0.48
कुल किता 2 रकबा 1.00 लगान 0.92		
4. श्री नवलसिंह पिता वरदा चदाणा

आ.न.	रकबा	लगान
1412	0.07	0.38
1415 / 1	0.14	0.56
1415 / 2	0.01	0.04
कुल किता 3 रकबा	1.02	लगान 0.98

5. श्री संदीप कुमार लक्षकार पिता श्री उंकारलाल लक्षकार, निवासी हाल मकान नम्बर 37, शिव मार्ग, तेलीवाड़ा, लखारा चौक, उदयपुर (राज.):—

आ.न.	रकबा	लगान
1415 / 5	1.00	0.80
503 / 3	0.05	0.25
कुल किता 2 रकबा	1.05	लगान 1.05

6. कालुसिंह, लोगर, भगा, मोहन पिता नाथू हि.ब.

आ.न.	रकबा	लगान
496 / 2	0.02	0.10
503 मी.	1.15	1.75
503 / 5	0.10	0.50
513	0.07	0.35
कुल किता 4 रकबा	2.14	लगान 2.70

7. श्री पदमसिंह, वेणसिंह, धूलसिंह, नवलसिंह पिता वरदा चदाणा हि.ब.

आ.न.	रकबा	लगान
496 मी.	0.04	0.20
501 / 1	0.02	0.10
503 / 2	0.15	0.75
503 / 4	0.01	0.05
कुल किता 4 रकबा	1.02	लगान 1.10

8. श्री किसनसिंह पिता श्री हीरासिंह डुलावत राजपूत

आ.न.	रकबा	लगान
496 / 1	0.01	0.05
501 मी.	0.03	0.15
503 / 1	1.03	1.15
कुल किता 3 रकबा	1.07	लगान 1.35

9. श्री कालुसिंह, लोगर, भगा, मोहन पिता नाथू 1/2 हि.ब. किसनसिंह पिता हीरासिंह 1/4 पदमसिंह, वेणसिंह, धूलसिंह, नवलसिंह पिता वरदा चदाणा 1/4 हि.ब.

आ.न.	रकबा	लगान
503 / 6	0.04	0.20
कुल किता 1 रकबा	0.04	लगान 0.20

बॅटवाड़ा प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकारान द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने से जाहीर होता है कि सभी पक्षकारान उक्तानुसार बॅटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बॅटवाड़े हेतु सहमत हैं। बॅटवाड़ा रिपोर्ट में किसी प्रकार की त्रुटी प्रतित नहीं होती हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के मध्य मौजा पिलाना की भागल पटवार क्षेत्र भुताला, तहसील बड़गाँव में स्थित उक्त भूमि का बंटवाड़ा उपरोक्तानुसार किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(डॉ. मंजु आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
बड़गाँव

अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपजिला कलक्टर बड़गॉव, उदयपुर मुकाम बड़गॉव उदयपुर पीठासीन अधिकारी डॉ. मंजु आई.ए.एस. मुकद्मा नम्बर 565/19 वाद सीगह श्री संदीप कुमार लक्षकार पिता श्री उंकारलाल लक्षकार, निवासी हाल मकान नम्बर 37, शिव मार्ग, तेलीवाड़ा, लखारा चौक, उदयपुर (राज.) बनाम 1. श्री कालुसिंह पिता श्री नाथू राजपुत, 2. श्री लोगर पिता नाथू राजपुत, 3. श्री भगा पिता नाथू राजपुत, 4. श्री मोहन पिता श्री नाथू राजपुत, 5. श्री पदमसिंह पिता श्री वरदा राजपुत, 6. श्री वेणसिंह पिता श्री वरदा राजपुत, 7. श्री धुलसिंह पिता श्री वरदा राजपुत, 8. श्रीमती भुरीबाई पत्नि स्व. श्री देवीसिंह राजपुत, 9. श्री नवलसिंह पिता श्री वरदा राजपुत, सर्वनिवासीयान गॉव गोदावतो की भागल, पटवार हल्का व ग्राम पंचायत भुताला, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.), 10. श्री किशनसिंह पिता श्री हीरासिंह डूलावत राजपुत, निवासी माताजी का खेड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.) 11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव जिला उदयपुर (राज.) अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने डॉ. मंजु आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि

- 1 संदीप कुमार लक्षकार पिता उंकारलाल लक्षकार, निवासी हाल मकान नम्बर 37, शिव मार्ग, तेलीवाड़ा, लखारा चौक, उदयपुर (राज.) के हिस्से की आराजीयात

आ.न.	रकबा	लगान
1415/5	1.00	0.80
503/3	0.05	0.25
कुल किता 2 रकबा	1.05	लगान 1.05
- 2 पदमसिंह पिता वरदा चदाणा निवासी गोदावतो की भागल के हिस्से की आराजीयात

आ.न.	रकबा	लगान
1415/3	1.00	0.80
कुल किता 1 रकबा	1.00	लगान 0.80
- 3 वेणसिंह पिता वरदा चदाणा निवासी गोदावतो की भागल के हिस्से की आराजीयात अनुसार

आ.न.	रकबा	लगान
1413	0.04	0.22
1415/4	0.16	0.64
कुल किता 2 रकबा	1.00	लगान 0.86
- 4 धुलसिंह पिता वरदा चदाणा निवासी गोदावतो की भागल के हिस्से की आराजीयात अनुसार

आ.न.	रकबा	लगान
1414	0.08	0.44
1415मी.	0.12	0.48
कुल किता 2 रकबा	1.00	लगान 0.92

- 5 नवलसिंह पिता वरदा राजपुत, निवासी गोदावतो की भागल, के हिस्से की आराजीयात अनुसार
- | आ.न. | रकबा | लगान |
|--------------------------------|------|------|
| 1412 | 0.07 | 0.38 |
| 1415 / 1 | 0.14 | 0.56 |
| 1415 / 2 | 0.01 | 0.04 |
| कुल किता 3 रकबा 1.02 लगान 0.98 | | |
- 6 कालुसिंह, लोगर, भगा, मोहन पिता नाथू हि.ब. निवासी गोदावतो की भागल के हिस्से की आराजीयात अनुसार
- | आ.न. | रकबा | लगान |
|--------------------------------|------|------|
| 496 / 2 | 0.02 | 0.10 |
| 503 मी. | 1.15 | 1.75 |
| 503 / 5 | 0.10 | 0.50 |
| 513 | 0.07 | 0.35 |
| कुल किता 4 रकबा 2.14 लगान 2.70 | | |
- 7 पदमसिंह, वेणसिंह, धूलसिंह, नवलसिंह पिता वरदा चदाणा निवासी गोदावतो की भागल हि.ब. के हिस्से की आराजीयात अनुसार
- | आ.न. | रकबा | लगान |
|--------------------------------|------|------|
| 496 मी. | 0.04 | 0.20 |
| 501 / 1 | 0.02 | 0.10 |
| 503 / 2 | 0.15 | 0.75 |
| 503 / 4 | 0.01 | 0.05 |
| कुल किता 4 रकबा 1.02 लगान 1.10 | | |
- 8 किशनसिंह पिता हीरासिंह डूलावत राजपुत, निवासी माताजी का खेड़ा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.) के हिस्से की आराजीयात अनुसार
- | आ.न. | रकबा | लगान |
|--------------------------------|------|------|
| 496 / 1 | 0.01 | 0.05 |
| 501मी. | 0.03 | 0.15 |
| 503 / 1 | 1.03 | 1.15 |
| कुल किता 3 रकबा 1.07 लगान 1.35 | | |
- 9 कालुसिंह, लोगर, भगा, मोहन पिता नाथू 1/2 हि.ब. निवासी गोदावतो की भागल, किशनसिंह पिता हीरासिंह डूलावत राजपुत, निवासी माताजी का खेड़ा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.) 1/4, पदमसिंह, वेणसिंह, धूलसिंह, नवलसिंह पिता वरदा चदाणा 1/4 हि.ब. निवासी गोदावतो की भागल के हिस्से की आराजीयात अनुसार
- | आ.न. | रकबा | लगान |
|--------------------------------|------|------|
| 503 / 6 | 0.04 | 0.20 |
| कुल किता 1 रकबा 0.04 लगान 0.20 | | |

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को वाके ग्राम पिलाना की भागल पटवार मण्डल भुताला तहसील बड़गाँव में स्थित उपरोक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बड़गाँव राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बँटवाड़ा रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हैं।

और इस वाद के खर्चे लेखे.....रूपये की राशि.....
आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर
प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा
को दी जावें।

आज तारीख.....माह.....सन्.....को
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश.....
पद.....

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प			प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

